-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी(आलाकत्ल) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री महेश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम खसौरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई हाल निवासी गाँव नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाँग के ठेके के सैल्समैन सुमित पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम खसौरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई के पेट में चाकू मारकर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 56/25 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त साकिब पुत्र वाजिद निवासी ग्राम जमालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर** को टीपीनगर से चकहरेटी जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 छूरी(आलाकत्ल) को बरामद किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै ट्रासपोर्ट नगर में शाहरूफ पुत्र अनीस निवासी अल्हेडी की गाडी आयशर कैन्टर पर हैल्पर का काम करता हूँ। मै भाँग व गांजा के नशे का आदी हूँ तथा मै टीपी नगर में स्थित भाँग के ठेके से भाँग लेता हूँ। होली से दो तीन दिन पहले भाँग के ठेके पर सैल्समैन सुमित कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। दिनांक 16.03.2025 की रात्रि को मै टीपीनगर से चकहरेटी जाने वाले रास्ते पर खडा होकर बीडी पी रहा था तभी सुमित तथा उसके साथ 02 अन्य लोग भाँग का ठेका बन्द करके आ रहे थे उन्होने मुझे गाली देते हुए मुझसे बीडी की मांग की तथा मेरे पास एक ही बीडी थी मैने बीडी देने से इसको मना कर दिया तो उसके गाली देने पर मैने भी गाली दे दी जिससे सुमित मेरे साथ मारपीट पर उतारू हो गया तभी मैने गुस्से में आकर अपने पास लिये चाकू से सुमित के पेट पर वार कर दिया तथा फिर मै वहां से भाग कर नौगजा पीर के पास आ गया तथा मैने वह चाकू नौगजा पीर के पास नाग देव नदी में पेड के पास फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साकिब पुत्र वाजिद निवासी ग्राम जमालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 छूरी नाजायज (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री रनपाल सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
6. का0 2052 रोहित सैन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्त के रक्तरंजित कपडे व घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17/18.03.2025 की रात्रि में कस्बा बेहट क्षेत्रान्तर्गत सरस्वती विहार कालोनी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर तत्काल थाना बेहट पुलिस द्वारा मौके पर पहूँचकर जाँच पडताल की गयी तो मृतक की पहचान सतीश पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। मृतक के सिर पर ईंटों से वार कर सिर कुचला हुआ था। मृतक के भाई नीरज पुत्र स्व0 ओमप्रकाश की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 91/25 धारा- 103(1) बीएनएस बनाम 1- करन पुत्र पप्पू 2- राहुल पुत्र नरेश निवासीगण मोहल्ला माजरी थाना बेहट जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण **1- भूपेन्द्र पुत्र ताराचन्द नि0 मोहल्ला माजरी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर 2- पप्पू पुत्र जहारू नि0 ग्राम रीढी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को ग्राम बेलका नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण का पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त भूपेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे पडोस में शादी थी तो मैं व मेरे मामा पप्पू मृतक सतीश को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शराब पीने के लिये सरस्वती विहार कालोनी में चले गये जहां हमने मृतक सतीश से उसकी पत्नी के बारे में अश्लील व अपशब्द कहे तो सतीश इस बात पर गुस्सा होकर गाली गलौच करने लगा था और मुझे थप्पड मार दिया तथा मेरे मामा से हाथापाई करने लगा। जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैने पास में पडी ईंट को सतीश के सिर में मार दिया जिससे सतीश का सिर फट गया और खून बहने लगा। हमें लगा कि सतीश मर गया है तो हम लोग उस ईंट के अद्धे को वहीं फैंककर सतीश को खींचकर पास के जंगल की तरफ ले जाने लगे। परन्तु सतीश के कराहने की आवाज सुनकर हम लोगों ने पास में पडी ईंटों को उठाकर सतीश के सिर में मारकर पहचान छिपाने के उद्देश्य से सतीश का सिर कुचल दिया व लाश को कालोनी में ही छोडकर भाग गये थे। हमारे कपडे खून में सन गये थे। हम लोग मेरे मामा पप्पू के घर रामपुर मनिहारन चले गये थे। मैने अपने खून में सने कपडे व जूते पास ही नहर में फैंक दिये थे। हमें पता चला था कि नीरज ने करन व राहुल के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा दिया है तो हम लोग बेफिक्र होकर वापस अपने घर आ गये थे। जब हमें पता चला कि पुलिस हम लोगों को ढूँढ रही है तो हम लोग भागने की फिराक में घर से निकले थे तभी हमे पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. भूपेन्द्र पुत्र ताराचन्द नि0 मोहल्ला माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. पप्पू पुत्र जहारू नि0 रेहडी मलकपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त भूपेन्द्र का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0- 293/24 धारा- 191(2)/115(2)/109(1)/333/352/351(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त पप्पू की रक्तरंजित शर्ट
- 01 ईंट (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री करन नागर बेहट जनपद सहारनपुर।
3. का0 2559 रंजीत कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
6. का0 2320 देवेन्द्र कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **मोहित उर्फ काला पुत्र लक्ष्मण नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित एसटी न0 460/15 अ0स0 265/15 धारा 399/402 भादवि0 थाना नानौता सहारनपुर) को ग्राम टिकरौल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

मोहित उर्फ काला पुत्र लक्ष्मण नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2.उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 19.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने व लोकसेवक के साथ मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2025 को वादी मुख्य आरक्षी तैनाती अभिसूचना इकाई नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा लोकसेवक के कार्य सरकार में बाधा डालते हुए मारपीट कर गोपनीय/सरकारी दस्तावेज फाड़ देने के संबंध में थाना नकुड पर **मु0अ0स0 77/25 धारा 191(2)/191(3)/ 121(2)/132/324(3) बीएनएस बनाम 1.जयपाल पुत्र नामालूम नि0 अज्ञात 2.विशाल पुत्र जयपाल नि0 अज्ञात व 10-15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.03.2025 को **अभियुक्तगण 1.जयपाल पुत्र बलवन्त 2. विशाल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ग्राम शम्भूगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हमारी ग्राम शम्भूगढ़ में शुगर रस के नाम से रसगुल्लों को फैक्ट्री है। दिनांक 18.03.2025 को एक व्यक्ति हमारी फैक्ट्री में आया और आकर नाम पता पूछते हुए फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारीयों के सम्बन्ध में पूछताछ करने लगा। हम लोगो को उस पर शक हुआ कि वह कोई बहरूपिया है इस पर हमने बिना सोचे समझे और जाने उसके साथ मारपीट कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जयपाल पुत्र बलवन्त निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. विशाल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 25000/- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2024 को वादी श्री रजत कुमार पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम नन्दपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर द्वारा ऑनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 25000/- रूपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साईबर हैल्पलाईन वैबसाईट पर शिकायत सं0 33106240076826 दर्ज करायी गयी तथा दिनांक 08.11.2024 को वादी श्री रजत कुमार उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 438/24 धारा 420 भादवि व 66 सी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरुक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा **पीडित** श्री रजत कुमार की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 25000/- रूपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही कर बैंक आफ बड़ौदा के खाते मे होल्ड कराया गया था । दिनांक 18.03.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित के साथ हुई 25000/- रूपये की साईबर ठगी के शत प्रतिशत 25000/- रूपये पीडित के खाते में वापस कराये गये । पीडित द्वारा ठगी **गयी रकम** के 25000/- रूपये की धनराशि खाते में वापस पाकर थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री अमित सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर **(विवेचक)**
3. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. कम्पयूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19-03-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अल्ताफ पुत्र यासीन निवासी ग्राम बुढ्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती बुढ्ढाखेडा रोड पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 91/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ,मजदूरी का कार्य करता हूँ व नशा करने का आदि हूँ।मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अल्ताफ पुत्र यासीन निवासी ग्राम बुढ्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी -

13 ग्राम अवैध स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0 नि0 डैनी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19-03-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्ता **फुरकाना पत्नी जावेद निवासी ग्राम बुद्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को पशु पैंठ चौराहे से बुड्ढाखेड़ा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।जिसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गयी ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0 अ0 स0- 92/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि मैं काफी गरीब हूँ,मुझे अक्सर पैसो की तंगी का सामना करना पड़ता है। मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में स्मैक बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती हूँ।आज जब मैं स्मैक बेचने जा रही थी तोपुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फुरकाना पत्नी जावेद नि0 ग्राम बुद्ढाखेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

12 ग्राम अवैध स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 राधा चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. म0का0 843 मानवती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक- 19.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए 2000/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2025 को वादी श्री विक्रम सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी Type-03,House No-03 जेल परिसर जिला कारागार सहारनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के घर से अभियुक्त सद्दाम पुत्र स्वं मुबारक अली निवासी जेल चुंगी थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा 10,000 रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाछिँत अभि0 **सद्दाम पुत्र स्वं मुबारक अली निवासी जेल चुंगी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र स्वं मुबारक अली निवासी जेल चुंगी थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 2000/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिह थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 217 बृजमोहन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 2166 साहुल कुमार थाना जनकपुरी, सहानरपुर।
4. का0 2552 विकास कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांकः 19.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/ अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए 02 मोटर व चोरी की गई वस्तुओं को बेचकर प्राप्त 8700/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 19.02.2025 को वादी श्री खुशीराम पुत्र सोमप्रकाश निवासी मौहल्ला कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय दुकान के सीढी द्वारा दिवार फांदकर छत से प्रार्थी की दुध की डेयरी के अन्दर से (02 मोटर दुध बिलौने वाले),01 बडा बैटरा,02 एल्युमीनियम की बडी परात चोरी कर लेने के संबंध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 82/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया एंव दिनाँक 02.01.2025 को वादी श्री सागर कुमार पुत्र तरसपाल निवासी ग्राम जानखेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत में रखी घास काटने की मशीन व मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दिनाक 02.11.24 को वादी श्री अवनीश पुत्र श्री समय सिह निवासी ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय गुल्लक से एक सैट हार व 1 अंगूठी व कुन्डल पाजेब व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 431/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 19.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 02 शातरि चोर/अभियुक्तगण**1.अतुल पुत्र रामपाल निवासी मौहल्ला कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 2.निगम पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ईदगाह चौराहा कस्बा रामपुर मनिहारान के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 मोटर (दूध बिलौने वाली) व 8700/- रुपये नगद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढ़े लिख हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं।हमें अक्सर पैसो की कमी रहती है जिसके कारण हम अपनी जरुरत की चीजें भी नहीं खरीद पाते हैं। हम दोनो मिलकर बंद पड़ी दुकानो या घरो से चोरी कर लेते हैं व चोरी किए सामान को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।आज जब हम चोरी को सामान बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमे पकड़ लिया।हमने करीब एक महिना पहले मौहल्ला कायस्तान के एक डेयरी से 02 मोटर, 01 बैट्री, 02 एलूमिनियम की बड़ी परात चोरी की थी। परात व बैट्री को हमने

बेच दिया था।पुलिस ने जो 8700/- रुपये बरामद किये हैं वो हमने अलग- अलग जगहों से चोरी किये गये सामान बेचकर प्राप्त किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अतुल पुत्र रामपाल निवासी मौहल्ला कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2.निगम पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अतुल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 82/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
2. मु0अ0स0 431/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान ,सहारनपुर
3. मु0अ0स0 03/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त निगम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 82/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
2. मु0अ0स0 431/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
3. मु0अ0स0 03/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 मोटर दूध बिलौने वाली(मु0अ0सं0 -82/25 से संबंधित)
- 8700/- रूपये नगद(चोरी गए सामान को बेचकर प्राप्त रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4.का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

दिनांकः 19.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 हिस्ट्रीशीटर वाहन चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 01 मोटरसाइकिल के अलग किये गये पार्टस व 01फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा (यू0टी0 क्षेत्राधिकारी प्रिया यादव के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.03.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर वाहन चोर अभियुक्त **सुभान पुत्र इमरान निवासी समसपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को कासमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट के बरामद हुई ।गिरफ्तार अभियुक्त निशांदेही पर उसके अन्य साथी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त **नसीम पुत्र नासिर निवासी समसपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को कासमपुर से डाडल जाने वाली रजवाहे की पटरी पर आम के बाग में बने खुले कमरे से गिरफ्तार किया गया। मौके से 04चोरी की मोटर साइकिल एंव 01 मोटरसाइकिल के अलग- अलग पार्टस बरामद हुए। । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण सुभान व नसीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 39/25 धारा 317(5),318(4),336(2),336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो 01 मोटरसाइकिल थाना सदर बाजार के मु0अ0स0 126/25 धारा 303(2)बीएनएस से संबंधित है। एंव 01मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर के मु0अ0स0 40/25 धारा 303(2)बीएनएस से सम्बन्धित है ।गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना मिर्जापुर के हिस्ट्रीशीटर हैं जिन पर पूर्व में भी कई मुकदमें दर्जा हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो ने मिलकर कस्बा बेहट व सहारनपुर शहर से मोटर साइकिलो की चोरी करते हैं तथा चोरी की मोटरसाइकिलो को बेच देते हैं। पिछले कुछ दिनो में हम दोनो ने 06 मोटर साइकिल चोरी की है। अभियुक्त सुभान ने बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल में से एक मोटर साइकिल पर सवार होकर मैं आज किसी कबाडी से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने का सौदा करने के लिये जा रहा था तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जब पुलिस ने मुझसे सख्ती से पूछताछ की तो मैंने बताया कि मेरा अन्य साथी कासमपुर से डाडल जाने वाली रजवाहे की पटरी पर आम के बाग में बने खुले कमरे में चोरी की 05 मोटरसाइकिल के साथ है।जिन्हें मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है।चोरी की मोटरसाइकिल को बेचकर हम आपस में मुनाफा बाँट लेते हैं।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

- चोरी की 05 मोटरसाइकिल।
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट।
- 01 चोरी की मोटरसाइकिल के अलग-अलग पार्टस।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

1.सुभान पुत्र इमरान निवासी समसपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर **(एच.एस न. 4ए)**

2 नसीम पुत्र नासिर निवासी समसपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर **(एच.एस न. 27ए)**

<u>गिरफ्तार अभियुक्त सुभान का आपराधिक इतिहास-</u>

.1 मु0अ0सं0 157/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 178/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 181/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 189/17 धारा 398/401 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 239/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 194/17 धारा 379 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 54/20 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 343/20 धारा 380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 161/22 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 108/15 धारा 411/379 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 112/15 धारा 411/414/420 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 240/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 358/14 धारा 411/379/420 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त नसीम का आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0 157/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 178/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 181/17 धारा 411/380 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 189/17 धारा 398/401 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 239/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 194/17 धारा 379 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 190/17 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 181/16 धारा 294 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 318/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. हेका0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 19.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 01 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2020 को वादी उप निरी0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण1.मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिह निवासी सन्तनगर कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2.रीतु पुत्री सत्यवीर सिह निवासी हलवाना रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर के द्वारा भारी मात्रा में नशीली दवाईयाँ 1422 कैप्सूल,600 गोली,व 175 पाउच की बिक्री करते हुए पकडे जाने की सूचना पर मु0अ0स0-50/20 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-464/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.03.2025 को अभियुक्तगण 1.मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिह 2. रीतु पुत्री सत्यवीर सिह को मु0अ0स0-50 /20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 01 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी0 श्री राजकुमार सिंह
पैरोकार का0- 378 बिजेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर।